

राजस्थान सरकार  
कार्मिक [क-2] विभाग  
=====


क्रमांक: - प. 5/51 कार्मिक/क-2/88

जयपुर, दिनांक: 13/9/2003

आदेश

विषय: - तार्वकनिक निर्माण विभाग [भवन एवं पथ] एवं  
उद्यान, सिंचाई, भूमि विकास [कार्यक्रम] इत,  
सिंचित क्षेत्र विकास पञ्चस विभाग [कोटा]  
[जिसमें इसके अन्तर्गत और उप-अन्तर्गत भी सम्मिलित  
है], जलदाय, आयुर्वेद और वन विभाग [विभागीय  
कार्यसूत तहसिल] के कार्य-प्रधारित कर्मचारियों की  
कार्य-प्रधारण सेवा के दौरान हुई मृत्यु पर उनके  
आश्रितों की भर्ती ।

इस विभाग के सम्बन्धक आदेश दिनांक 4.11.99 की  
निरन्तरता में राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि इस विभाग की  
हकी संख्या की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना दिनांक 31.12.96  
द्वारा जारी किये गये राजस्थान इत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की  
अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 तार्वकनिक निर्माण विभाग [भवन एवं  
पथ] एवं उद्यान, सिंचाई, भूमि विकास [कार्यक्रम] इत, सिंचित क्षेत्र विकास  
पञ्चस विभाग [कोटा] [जिसमें इसके अन्तर्गत और उप-अन्तर्गत भी सम्मिलित है],  
जलदाय, आयुर्वेद और वन विभाग [विभागीय कार्यसूत तहसिल] के कार्य-  
प्रधारित कर्मचारियों के आश्रितों पर उनकी नियुक्ति के लिए यथासंभव  
परिचरन तहसिल लागू होंगे ।

  
शान्ती कुमार शर्मा  
शासन उप सचिव

25/03